रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-09112023-249964 SG-DL-E-09112023-249964

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 336] No. 336] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 8, 2023/कार्तिक 17, 1945

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 287

DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2023/KARTIKA 17, 1945

[N. C. T. D. No. 287

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 8 नवम्बर, 2023

फा. सं. 2(6) /स्था. /पुरा. /2023 /4175. —गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27 /59 —एचआईएम (i) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 03 /09 / 1981 की अधिसूचना संख्या फा. 2(83) / 80 — एस. II द्वारा प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'नक्शानवीस' के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

- (1) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, नक्शानवीस भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।
- (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर

उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

7040 DG/2023 (1)

3. भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं इत्यादि

उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु—सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता

वह व्यक्ति.

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा
- (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. षिथिल करने की षिकत

जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. बचाव

इन नियमों में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विषेष वर्ग के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

	T	1	
1.	पदनाम	Ŀ	नक्शानवीस
2.	पदों की संख्या	:	01*(2023) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केंद्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह 'ग'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर— 5 (रुपये 29200—92300)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	18—27 वर्ष के बीच ।
			टीप 1: केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये ऊपरी आयु—सीमा 40 वर्ष तक शिथिलनीय । टीप 2: आयु—सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्यः 1. किसी मान्यता—प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण । 2. किसी मान्यता—प्राप्त संस्थान ∕ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा या ड्राफ्टमैन (सिविल) में दो वर्ष का डिप्लोमा । टीपः—अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में, योग्यताएं कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय हैं ।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं

9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती के लिये दो वर्ष ।
10.	भर्ती की पद्धति		प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेषन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेषन किया जाना है	• •	प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) :— केन्द्र सरकार / राज्य सरकारों / केन्द्र शासित प्रदेश प्रषासनों / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / वैधानिक या स्वायत्त निकायों / मान्यता—प्राप्त विश्वविद्यालयों / मान्यता—प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी :
			(क) (i) मूल संवर्ग / विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारी; अथवा
			(ii) मूलसंवर्ग / विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर—4 या समकक्ष के पदों में नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेडमें 5 वर्षों की सेवा सहित।
			तथा
			(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले :
			अनिवार्य :
			 किसी मान्यता-प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन अथवा इसके समकक्ष उत्तीर्ण ।
			 किसी मान्यता—प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा या ड्राफ्टमैन (सिविल) में दो वर्ष का डिप्लोमा।
			वांछनीय :
			कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/विश्वविद्यालयों/कंपनियों में स्मारकों अथवा भवनों के चित्र तैयार करने में या योजनाओं, मानचित्रों तथा चार्टों इत्यादि जैसे प्रकाशनों के लिए 03 वर्षों का अनुभव।
			टीप :— (प्रतिनियुक्ति की अवधि में केन्द्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैरसं वर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति(आईएसटीसी) द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।)
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है ।		विभागीय स्थायीकरण समितिः 1. प्रधान सचिव / सचिव (ऊर्जा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—अध्यक्ष 2. सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा विभाग / पुरातत्व), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य 3. उप—सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार—सदस्य
			टीप:—यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ हैं, तो स्थायीकरण के विचारार्थ विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है ।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष लिया जाना आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, चोखा राम गर्ग, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY NOTIFICATION

Delhi, the 8th November, 2023

No. F. 2(6)/Estt./Archy./2023/4175.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F. 27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of the notification of this Government, published vide notification No.F.2(83)/80-S.II dated 03/09/1981 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Draftsman' in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement.

- (1) These rules may called the Department of Archaeology, Draftsman Recruitment Rules, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix.

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc.

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications.

No persons, -

- (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Competent Authority, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post	Draftsman
2.	Number of Posts	01 * (2023) *Subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service Non Ministerial, Non-Gazetted, Group C
4.	Pay Level in the Pay Matrix	Level-5 (Rs. 29200-92300)
5.	Whether Selection Post/Non-Selection Post	Not applicable
6.	Age limits for Direct Recruits	Between 18 years and 27 years. Note 1: The upper age-limit is relaxable for departmental candidate up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

		Note 2. The emissed data for determining the and the second
		Note 2: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the DSSSB/ Competent Authority.
7.		Essential:
	Educational and other qualification required for direct recruits	1. Matriculation or its equivalent passed from a recognized Board.
		2. 3 years' Diploma in Civil Engineering Or 2 years'
		Diploma in Draughtsman (Civil) from a recognized Institution/ University.
		Note : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
8.	XXX .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1	Not applicable
	Whether age and educational qualification prescribed for Direct Recruitment will apply in the case of promotees	
9.	Period of Probation if any	Two years for direct recruits.
10.	Method of Recruitment.	By deputation (ISTC) failing which by direct recruitment.
11.	In case of recruitment by promotion/	Deputation (ISTC):
	deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made	Officers from the Central Government/ State Governments/Union Territory Administrations/ Public Sector Undertakings/ Statutory or Autonomous Bodies/ Recognized Universities/ Recognized Research Institutes:
		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department; or
		(ii) with 5 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in Level-4 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre/ department;
		AND
		(b) possessing the following educational qualifications :
		Essential:
		1. Matriculation or its equivalent passed from a recognized Board.
		2. 3 years' Diploma in Civil Engineering Or 2 years' in Draughtsman (Civil) from a recognized Institution/ University.
		Desirable:
		3 years' experience in preparation of drawings of monuments or buildings or for publications such as plans, maps and charts etc. in Government/PSUs/ Universities/ Companies registered under Companies Act.
		Note : (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/ department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall not exceeding 56 years, as on the closing date of receipt of the application.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists,	Departmental Confirmation Committee:
	what is its composition.	1. Principal Secretary/ Secretary (Power), GNCT of Delhi : Chairperson
		2. Secretary (ACL/ Archaeology), GNCT of Delhi : Member

		3. Deputy Secretary (Finance), GNCT of Delhi : Member
		Note: Senior most member of the Departmental Confirmation Committee for considering confirmation shall act as Chairperson in case the notified chairperson of the Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Consultation with UPSC is not necessary.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

CHOKHA RAM GARG, Secy. (ACL)